न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act 1955 सरकार बनाम देवीलाल मोतीलाल पि. रामनिवास कुमावत कुचामनसिटी		
प्रा.पत्र नम्बर 243/2020	GCMS No.2020/00365	
तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
05/01/2023	अप्रार्थीगण के द्वारा प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रस्तुत करने पर पत्रावली आज नम्बर पर ली गई। प्रार्थी राज पैरोकार उपस्थित। अप्रार्थी देवीलाल मोतीलाल ने जवाब प्रस्तुत कर कथन किया है कि ग्राम त्रिसिंझा पटवार मण्डल सरगोठ तहसील कुचामनसिटी के खसरा नम्बर 195/95 रकबा 0.0766 हैक्टर स्थित चली आ रही है, जिसमें अप्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि आई हुई है, प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका मण्डल कुचामनसिटी द्वारा प्रारूप–11 में आदेश क्रमांक/नपाकु/भूमि/2021–22/5096 दिनॉक 19.01.2022 को अनुज्ञा जारी की जा चुकी है, जिसकी छाया प्रति प्रस्तुत की गई है। अतः जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा 06.10.2020 खारिज फरमाई जावे। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात इत्यादि का अवलोकन किया गया। प्राधिकृत अधिकारी नगरपालिका मण्डल कुचामनसिटी द्वारा प्रारूप–11 में आदेश क्रमांक/नपाकु/भूमि/2021–22/5096 दिनॉक 19.01.2022 को अनुज्ञा जारी की जा चुकी है, जिसकी पुष्टि प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के साथ आदेश की छाया प्रति से होती है, तथा अप्रार्थी की भूमि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि से गैर कृषि प्रयोजन के लिए दिनॉक 19.01.2022 को अनुज्ञा प्रारूप–11 में जारी हो चुकी है। अप्रार्थीगण को उक्त भूमि का नामान्तरकरण कराये जाने हेतु निवेदन किया है। उपलब्ध रेकार्ड इत्यादि से प्रकरण में आगे की कार्यवाही शेष नही है। अतः उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र साबित नही है तथा इस न्यायालय के द्वारा पूर्व में जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनॉक 06.10.2020 एवं प्रार्थना–पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act-1955 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) Signature Not Verified Digitally signed by Babu Lal Jat Date: 2023.02.13 14:37:46 IST Reason: SelfAttested	